राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 946/2023

मोहम्मद शफीक

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 09.01.2024

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मेन्द्र जैन, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 18.07.1987 को प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई थी। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 29.09.1997 को अध्यापक पद पर समायोजित कर दिया गया। अपीलार्थी को दिनांक 30.07.2006 से द्वितीय चयनित वेतनमान 5500–9000 दिया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को 27 वर्ष पूर्ण हो जाने के बावजूद अभी तक भी तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त लाभ के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग से कई बार निवेदन किया गया है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
2. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
3. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते

हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

4. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)